...लय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज0)

...0 तारीख दायरा तारीख फैसला

60 / 19 09 / 10 / 2019 20/4/2

पीठासीन अधिकारी : श्री संतोष कुमार मीना आर0ए0एस0

उनवान

रामशंकर पुत्र कान्हा जाति मीणा निवासी गण्डावद तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88 , 89 , 92 (ए) , 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा इस आशय का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गण्डावद की जमाबन्दी सम्वत् 2070 – 2073 की खाता संख्या 91 मे अन्य भुमियाँ के साथ खसरा संख्या 25 रकबा 1.58 है. व खसरा संख्या 25 / 443 रकबा 0.99 है. कुल 2 किता की 2.57 है. भूमि वादी की खातेदारी मे स्थित है, जिसे वाद पत्र मे विवादित भूमि कहा गया है। भू – प्रबन्धन संक्रिया सम्वत् 2041–2060 से पुर्व 6 के गत खसरा संख्या 4 रकबा 17 बीघा ग्यारह बिस्वा भूमि था। जिसके बाद बंदोबस्त नवीन खसरा संख्या 25 रकबा 1.28 है. व खसरा संख्या 25 / 443 रकबा 0.83 है. कुल 2 किता की 2.11 है. दर्ज कर 0.46 है. का कमी रकबा कायम कर दिया गया। जबकि वादी अपने बंदोबस्त से पुर्व के रकबे के मुकाबले ही मौके पर शांतिपूर्वक काबिज–काश्त चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख में हो रहे उक्त कमी रकबे की पुर्ति के लिए वादी द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, इटावा के समक्ष कार्यवाही की गई। माननीय न्यायालय द्वारा मिसल संख्या 43 / 2006 बउनवान रामशंकर बनाम सरकार, दिनाँक 23.12.2010 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ स्वीकार कर लिया गया कि "ग्राम गण्डावद के खसरा संख्या 25 का रकबा 1.28 है. के स्थान पर 1.58 है. व खसरा संख्या 25 / 443 का रकबा 0.83 है. के स्थान पर 0.99 है. दर्ज किया जावे। ग्राम का चक बेशी न हो इसलिए सिवाय चक खसरा संख्या 191 का रकबा 1.89 है. के स्थान पर 0.46 है. की कमी करते हुए 1.43 है. दर्ज किया जावे।" तद्नुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद हो। विवादित भूमि पर वादी बंदोबस्त से पुर्व के रकबे के अनुसार ही मौके पर 2.57 है. भूमि पर काबिज काश्त है, किन्तु वर्तमान नक्शा लठ्ठा मे खसरा संख्या 25 व 25 / 443 का माप राजस्व अभिलेख मे दर्ज रकबे से कम अंकित होने तथा समीपवर्ती खसरा संख्या 23 का वर्तमान नक्शे लठ्ठे मे माप, दर्ज रकबे से अधिक होने से नेसर्गिक रूप से वादी का नक्शे के अनुसार सिवायचक खसरा संख्या 23 पर वादी का कब्जा दर्शित होता है। फलस्वरूप प्रतिवादी द्वारा वादी के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अधीन कार्यवाहियाँ की जाती रही है। इसलिए खसरा संख्या 25 व 25 / 443 का मौके व जमाबन्दी मे दर्ज रकबे के मुकाबले नक्शा लठ्ठा मे तरमीम करवाकर नक्शा दुरस्त करवाने का वादी विधिक अधिकारी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि के समीपवर्ती खसरा संख्या 23 रकबा 0.48है. है, जो मौके पर भी 0.48 है. भूमि है। किन्तु उक्त खसरे की नक्शा लठ्ठे मे रकबा बरारी करने पर उक्त खसरे मे 0.46 है. की बेशी हो रही हैं। इसलिए भी वांछित तरमीम आवश्यक

सहायक ... मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी, तहसीलदार पीपल्दा को भू धारक होने के पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरुद्व वाद लाने के लियें धारा 80 दीवानी प्रक्रिया संहिता प्रावधानो की पालना आवश्यक हैं किन्तु प्रतिवादी विवादित भूमि का कुछ भाग नक्शा लठ्ठे मे सिवाय चक दर्ज होने से विवादित भूमि पर से वादीगण के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करने आमादा है। इसलिए वाद की आपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80(2) दी0प0सं0 के अधीन प्रार्थना पत्र प्रथक् से प्रस्तुत है। वाद कारण माह अक्टूबर' 2019 के प्रथम सप्ताह मे प्रतिवादी द्वारा वादी को उसके स्वामित्व एवम् कब्जे की विवादित भुमि से बेदखल करने की कार्यवाही करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वाद नियत न्याय–शुल्क 1/– रूपया पर प्रस्तुत है। वाद अवधि मध्य प्रस्तुत है। न्यायालय श्रीमान को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवम् क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अन्त मे निवेदन किया कि ग्राम गण्डावद की खसरा संख्या 25 रकबा 1.58है. व खसरा संख्या 25/443 रकबा 0.99 है. कुल 2 किता की 2.57 है. भूमि का जमाबंदी मे दर्ज रकबे के अनुसार नक्शा लठ्ठा मे रकबा दुरस्त करते हुये खसरा संख्या 23 मे तरमीम की जावे। प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वह विवादित भूमि मे वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब सरकार प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी मौके पर काबिज अनुसार तरमीम करवाना चाहता है। अतः रकबा बरारी की गई। ख.नं. 25/1.58 है. की रकबा बरारी पश्चात् क्षेत्रफल 1.28 है. एवं खं.सं. 25/443 तकबा 0.99 है. की रकबा बरारी पश्चात् क्षेत्रफल 0.83 है. होता है। प्रार्थी 0.48 है. पर भी काबिज काश्त है। पूर्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, इटावा मि0 सं. 43/06 निर्णय दिनांक 23.12.10 अनुसार प्रार्थी के खाते मे रकबे 0.46 है. के कमी रकबे की पूर्ति सिवाय चक ख.सं0. 191 रकबा 1.89 है. के स्थान पर 0.46 है. रकबे की कमी करते हुये रकबा 1.43 है. दर्ज कर दी गई है। यह ख.नं. 191 प्रार्थी के खाते के ख.सं. 25 व 25/443 के काफी दुर है। राजस्व रिकार्ड नक्शा अनुसार प्रार्थी के खाते मे कमी रकबा 0.46 है. की कमी पूर्ति सिवायचक ख़.सं. 191 के स्थान पर सिवायचक ख.सं. 23/0.48है. मे से रकबा 0.46है. प्रार्थी के खाते दर्ज कर प्रार्थी की समस्या का समाधन किया जा सकता हैं। इस प्रकार ख.सं. 25 का रकबा 1.58 है. के स्थान पर पुर्ववत रकबा 1.28 है. एवं खंसं. 25/443 का रकबा 0.99 है. के स्थान पर पूर्ववत रकबा 0.83 है. खंसं. 191 का रकबा 1.43 है. के स्थान पर पूर्ववत रकबा 1.89 है. दर्ज कर तथा प्रार्थी के कमी रकबे 0.46 है. की पूर्ति समीपवर्ती सिवाय चक ख. सं. 23 रकबा 0.48 है. मे से 0.46 है. प्रार्थी के खाते दर्ज कर की जा सकती है। जवाब सरकार प्रस्ततु होने के उपरान्त वादी द्वारा साक्ष्य वादी मे स्वयं का शपथ पत्र बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत् 2034 – 37 ग्राम गण्डावद तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) खाता संख्या 5, प्रदर्श–2 प्रमाणित प्रतिलिपी आंशिक मिलान क्षैत्रफल ग्राम गण्डावद, प्रदर्श–3 प्रमाणित प्रतिलिपी सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2041 – 60 ग्राम गण्डावद तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) खाता संख्या 88, प्रदर्श–4 प्रमाणित प्रतिलिपी आंशिक मिलान क्षैत्रफल ग्राम गण्डावद, प्रदर्श–5 प्रमाणित प्रतिलिपी सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2041 – 60 ग्राम गण्डावद तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) खाता संख्या 33, प्रदर्श–6 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत् 2070 – 73 ग्राम गण्डावद, प्रदर्श–7 तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) खाता संख्या 1 (कुल 7 किता), प्रदर्श–8 प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस वर्तमान ग्राम गण्डावद तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) खसरा संख्या 23, 25, 25/443, प्रदर्श–9 प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस वर्तमान ग्राम गण्डावद तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) खसरा संख्या 191, प्रदर्श–10 प्रमाणित प्रतिलिपी नक्शा ट्रेस गत ग्राम गण्डावद तह. पीपल्दा जिला

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

(ज.) गत खसरा संख्या 3, 4, प्रदर्श–11 निर्णय दिनाँक 23.12.2010 न्यायालय उपखण्ड इटावा मिसल संख्या 43/2006 बउनवान रामशंकर बनाम राज. सरकार अर्न्तगत धारा 136 राजस्व अधिनियम प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गण्डावद की खसरा संख्या 25 रकबा 1.58 है. व खसरा संख्या 25/443 रकबा 0.99 है. कुल 2 किता की 2.57 है. भूमि का जमाबंदी मे दर्ज रकबे के अनुसार नक्शा लठ्ठा मे रकबा दुरस्त करते हुये खसरा संख्या 23 मे तरमीम की जाने योग्य होने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गण्डावद की ख.सं. 25 का रकबा 1.58 है. के स्थान पर पुर्ववत रकबा 1.28 है. एवं खं सं. 25/443 का रकबा 0.99 है. के स्थान पर पूर्ववत रकबा 0.83 है. खंसं. 191 का रकबा 1.43 है. के स्थान पर पूर्ववत रकबा 1.89 है. दर्ज कर दी जावे तथा वादी के कमी रकबे 0.46 है. की पूर्ति समीपवर्ती सिवाय चक ख. सं. 23 रकबा 0.48 है. मे से 0.46 है. वादी के खाते दर्ज कर दी जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/4/22 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

उनवान

1. रामशंकर पुत्र कान्हा जाति मीणा निवासी गण्डावद तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)
प्रतिवादी

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88 , 89 , 92 (ए) , 188 आर0 टी0 एक्ट
मुकदमा नं0 60/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **ग्राम गण्डावद की ख.सं. 25 का रकबा 1.58 है. के स्थान पर पुर्ववत रकबा 1.28 है. एवं खं सं. 25/443 का रकबा 0.99 है. के स्थान पर पूर्ववत रकबा 0.83 है. खंसं. 191 का रकबा 1.43 है. के स्थान पर पूर्ववत रकबा 1.89 है. दर्ज कर दी जावे तथा वादी के कमी रकबे 0.46 है. की पूर्ति समीपवर्ती सिवाय चक ख. सं. 23 रकबा 0.48 है. मे से 0.46 है. वादी के खाते दर्ज कर दी जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री मुर्तिब की जावे**

निणर्य मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 08/04/2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर एवं ... इटावा जिला कोटा